

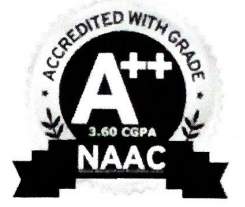


केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित

भोपाल परिसर, संस्कृत मार्ग बागसेवनिया, भोपाल मध्य प्रदेश – 462043

Tel.(o) 0755-2418043 , E-mail : director-bhopal@csu.co.in



No. F.4 (412)/CSU/BC/Admin/Misc-ARC/2025

Dated: 09.05.2025

कार्यालय आदेश-2025/46

विदित है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी एंटी रैगिंग विनियम, 2009 की धारा 6.3(क) के अनुसार, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में एक रैगिंग विरोधी समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है, जो संस्थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य करेगी। समिति में नागरिक एवं पुलिस प्रशासन, स्थानीय मीडिया, एनजीओ, संकाय सदस्य, नवप्रवेशी एवं वरिष्ठ छात्र तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारी प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विनियमों एवं वर्तमान में लागू विधिक प्रावधानों के अनुपालन में तथा परिसर में रैगिंग की रोकथाम और निगरानी सुनिश्चित करने हेतु, भोपाल परिसर में निम्नलिखित रैगिंग विरोधी समिति का गठन किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम	
1.	प्रो. रमाकांत पाण्डेय, निदेशक, भोपाल परिसर	अध्यक्ष
2.	प्रो. सुबोध शर्मा, भोपाल परिसर	सदस्य
3.	प्रो. प्रदीप कुमार पाण्डेय, भोपाल परिसर	सदस्य
4.	डॉ. योगेश कुमार जैन, भोपाल परिसर	सदस्य
5.	डॉ. नरेश कुमार पाण्डेय, भोपाल परिसर	सदस्य
6.	डॉ. रजनी वी जी, भोपाल परिसर	सदस्य
7.	डॉ. अवनी शर्मा, भोपाल परिसर	सदस्य
8.	श्री मनीष लोहनी, अनुभाग अधिकारी, भोपाल परिसर	सदस्य
9.	श्री वामदेव मिश्र, सहायक, भोपाल परिसर	सदस्य
10.	श्री आशीष पचौरी, तकनीकी सहायक (सविदा), भोपाल परिसर	सदस्य
11.	डॉ. रजनीश कश्यप, एसीपी मिसरोद, मध्य प्रदेश पुलिस, भोपाल (पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि) Sdopmisrod.bhopal@gmail.com (9479990541)	सदस्य
12.	डॉ. हेम चन्द्र पाण्डेय, बी-14, सुरेन्द्र गार्डन, (जीवन विकास सेवा समिति), बागसेवनिया, भोपाल (9425008662) [गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)]	सदस्य
13.	शिवकान्त आचार्य, पत्रकार, न्यूज 18, एम.पी.सी.जी शिवाजी नगर, नियर प्रगति पेट्रोल पम्प (स्थानीय मीडिया प्रतिनिधि) 8085398681 (acharyashivkant020@gmail.com)	सदस्य
14.	श्री नितिन चौबे, छात्र, शास्त्री-प्रथम वर्ष (व्याकरण)	नवप्रवेशी छात्रों के प्रतिनिधि
15.	कुमारी मुक्ति जैन, छात्र, आचार्य-प्रथम वर्ष (व्याकरण)	वरिष्ठ छात्रों के प्रतिनिधि

समिति यूजीसी एंटी रैगिंग विनियम, 2009 एवं अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगी तथा नियमित रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, मुख्यालय, नई दिल्ली, को आवश्यक रिपोर्ट प्रेषित करेगी।

उपरोक्त समिति का कार्यकाल इस आदेश की जारी होने की तिथि से अगले दो वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

[प्रो. रमाकांत पाण्डेय]
(निदेशक)

प्रतिलिपि:-

1. रैगिंग विरोधी समिति के समस्त सदस्य, भोपाल परिसर
2. कुलपति के निजी सचिव, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली
3. अधिष्ठाता (छात्र-कल्याण), केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली
4. कुलसचिव, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जनकपुरी, नई दिल्ली
5. प्रो. श्री गोविंद पाण्डेय, सह-निदेशक, भोपाल परिसर
6. आंतरिक गुणवत्ता संवर्धन प्रकोष्ठ, भोपाल परिसर
7. प्रो. अशोक कुमार कछवाह, छात्रावास अधिष्ठाता (पुरुष), भोपाल परिसर
8. डॉ. रजनी वी. जी., छात्रावास अधिष्ठाता (महिला), भोपाल परिसर
9. प्रशासन विभाग, भोपाल परिसर


(निदेशक)